



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1936 (श0)

(सं0 पटना 729) पटना, वृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2014

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचनाएं

19 मई 2014

सं0 3/विविध-10104/13-814—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय स्तर पर समूह 'ग' वाहन चालक के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।**— (1) यह नियमावली बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समूह 'ग' वाहन चालक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह विभागीय एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-3/आर-1-46/2000-2492, दिनांक 30.11.2005 के द्वारा निर्गत बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए अंगीकृत किया जाता है।

नियमावली के अध्याय-3 (भर्ती) की नियम-7 के अनुसार वाहन चालकों के लिए अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंशुली आर्या,  
सरकार के प्रधान सचिव।

19 मई 2014

सं0 3/विविध-10104/13-814 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंशुली आर्या,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 19th May 2014*

No. 3/विधि-10104/13-814—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions on the posts of group 'C' Vehicle Driver at departmental level of the Public Health Engineering Department of the State of Bihar :-

**1. Short title, extent & commencement.**— (1) These Rules may be called The Bihar Public Health Engineering Department Group- C Vehicle Driver Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014.

(2) It will extend to the whole State of Bihar. It will apply equally to Departmental and Muffasil Offices.

(3) It will come into force with immediate effect.

**2.** The Bihar Vehicle Drivers (Recruitment and Service conditions) Rules, 2005 (as amended from time to time) issued under notification no.- 3/R-1-46/2000-2492, dated 30.11.2005 of the Personnel & Administrative Department, now General Administration Department, is adopted for the Public Health Engineering Department.

According to rule-7 of Chapter-3 (Recruitment) of the Rules, the Engineer-in-Chief-Cum-Special Secretary shall be the Appointing Authority for Vehicle Drivers.

By order of the Governor of Bihar,  
ANSHULI ARYA,  
*Principal Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 729-571+10-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**